प्रेस नोट
दिनांक 13.06.2026

वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए गोण्डा पुलिस की विशेष पहल, घर–घर पहुंचकर सुनी जाएंगी समस्याएं, त्वरित होगा निस्तारण–

गोण्डा। अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर जोन, गोरखपुर द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, सम्मान, सहायता एवं उनके साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से विशेष कम्युनिटी पुलिसिंग अभियान प्रारम्भ किया गया है। वर्तमान सामाजिक परिवेश को दृष्टिगत रखते हुए जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में निवास करने वाले 70 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों का चिन्हीकरण कर उनका विवरण संकलित किया जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक थाने की कम्युनिटी पुलिसिंग यूनिट बनायी गयी है जो नियमित रूप से वरिष्ठ नागरिकों से संपर्क स्थापित कर उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं एवं सुरक्षा संबंधी चिंताओं की जानकारी प्राप्त करेगी। अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों का 02 विशेष वरिष्ठ नागरिक रजिस्टर तैयार किया गया है, जिसमें उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर, आयु, स्वास्थ्य एवं सामाजिक स्थिति सहित संपर्क से संबंधित आवश्यक विवरण अंकित किया जाएगा। सीपीयू टीम द्वारा प्रत्येक सप्ताह निर्धारित दिवसों (सोमवार, बुधवार, शानिवार) पर वरिष्ठ नागरिकों से संपर्क स्थापित कर उनकी कुशलक्षेम जानी जाएगी तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं सी0पी0यू0 टीमों को निर्देशित किया है कि वे वरिष्ठ नागरिकों के प्रति संवेदनशील एवं सहयोगात्मक व्यवहार अपनाते हुए नियमित संवाद स्थापित करें तथा उनकी समस्याओं के समाधान हेतु प्रभावी कार्रवाई करें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक–13.06.2026

थाना परसपुर पुलिस द्वारा जिला बदर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

जनपद गोण्डा में कानून–व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने तथा आमजन में सुरक्षा की भावना को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराधियों, गुण्डों एवं शांति भंग करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रभावी एवं सख्त कार्यवाही किए जाने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए गए हैं। उक्त निर्देश के क्रम में थाना परसपुर पुलिस द्वारा जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

दिनांक 13.06.2026 को थाना परसपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि जिला बदर घोषित अभियुक्त रौनक सिंह उर्फ अभिनव सिंह पुत्र राकेश सिंह नि0 नन्दौर थाना परसपुर जनपद गोण्डा अपने घर पर मौजूद है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त जनपद गोण्डा की सीमा में उपस्थित रहने का कोई वैध कारण नहीं बता सका। गिरफ्तार अभियुक्त को श्रीमान जिलाधिकारी गोण्डा द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3(1) के अंतर्गत दिनांक 04.06.2026 को 06 माह के लिए जनपद से बाहर भेजा गया था। इसके बावजूद अभियुक्त द्वारा जिला बदर आदेश का उल्लंघन करते हुए जनपद की सीमा में निवास कर रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध ''धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970'' के अंतर्गत विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. रौनक सिंह उर्फ अभिनव सिंह पुत्र राकेश सिंह नि0 नन्दौर थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0 267/2026 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्डा अधिनियम थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास–

01. मु0अ0सं0–366/22 धारा 323/452/506 भादवि थाना को0 देहात गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–896/22 धारा 504/506 भादवि थाना को0 नगर गोण्डा।
03. मु0अ0सं0–99/23 धारा 323/504/506 भादवि थाना को0 नगर गोण्डा।
04. मु0अ0सं0–368/23 धारा 323/327/342/506 भादवि थाना को0नगर गोण्डा।
05. मु0अ0सं0–271/24 धारा 392/411 भादवि थाना परसपुर गोण्डा।
06. मु0अ0सं0–497/24 धारा 309(4)/317(2)/351(3) भादवि थाना को0 देहात गोण्डा।
07. मु0अ0सं0–896/24 धारा 115(2)/309(4)/317(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना को0 नगर गोण्डा।
08. मु0अ0सं0–897/24 धारा 109/319(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 नगर गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 श्री प्रभुनाथ यादव
02. हे0का0 रामनरेश यादव
03. रि0का0 अभय अवस्थी
04. रि0का0 रोहित साहू

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 13.06.2026

थाना कर्नलगंज पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्यवाही में रात्रि चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में 01 शातिर बदमाश गोली लगने से घायल सहित कुल 03 शातिर अंतर्जनपदीय चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 11 ग्राम सोना, 01 किलोग्राम 100 ग्राम चांदी, 01 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, 01 अवैध तमंचा, 01 जिंदा कारतूस, 01 खोखा कारतूस एवं ₹93,000/- नगद बरामद-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दवाच्या के नेतृत्व में थाना कर्नलगंज पुलिस व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा सोनहरा मोड़ के पास वाहन चेकिंग दौरान पुलिस मुठभेड़ में 03 शातिर चोरों- 01. रामचंद्र गुप्ता पुत्र श्यामलाल गुप्ता (पुलिस मुठभेड़ में घायल), 02. चांदबाबू पुत्र मो0 सईद, 03. नईम पुत्र स्व0 मो0 सलीम को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार चोरों के कब्जे से लगभग 01 किलो 100 ग्राम चांदी, 11 ग्राम सोना, 93,000/- रुपए नगद, 01 सुपर स्पलेंडर मोटरसाइकिल, 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस, 01 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.06.2026 की रात्रि में थाना कर्नलगंज पुलिस एवं एसओजी टीम सोनहरा मोड़ के पास संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की सघन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर सवार तीन संदिग्ध व्यक्तियों को रुकने का संकेत दिया गया, किन्तु वे पुलिस टीम को देखकर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा पीछा किए जाने पर बदमाशों ने स्वयं को घिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में 01 बदमाश- रामचंद्र गुप्ता पुत्र श्यामलाल तेली के पैर में गोली लगी। इसी दौरान उसके 02 अन्य साथी अभियुक्तगण नईम व चांदबाबू द्वारा भागने का प्रयास किया गया, जिस पर पुलिस बल द्वारा तत्परता से घेराबन्दी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया । पुलिस मुठभेड़ में घायल अभियुक्त रामचंद्र गुप्ता को प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी कर्नलगंज ले जाया गया । जहां प्रारंभिक उपचार के बाद जिला अस्पताल गोण्डा मे घायल अभियुक्त को भर्ती कराया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 01 किलो 100 ग्राम चांदी, 11 ग्राम सोना, 93,000/- रुपए नगद, 01 सुपर स्पलेंडर मोटरसाइकिल, 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस, 01 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। ।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सुनसान घरों एवं दुकानों की रेकी कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। अभियुक्तगण रात्रि के समय घरों में नकब लगाकर अथवा ताला तोड़कर सोने-चांदी के आभूषण, नकदी एवं अन्य कीमती सामान चोरी कर लेते थे। चोरी किए गए सामान को आपस में बांट लेते थे तथा कुछ सामान स्थानीय स्तर पर बेचकर उससे प्राप्त धनराशि का उपयोग अपने व्यक्तिगत खर्चों में करते थे। पूछताछ में थाना कर्नलगंज में दर्ज आधा दर्जन चोरी की घटनाओं का खुलासा हुआ है। बरामद सोने-चांदी के आभूषण, नकदी एवं अन्य सामान उक्त चोरी की घटनाओं से संबंधित होना प्रकाश में आया है। अभियुक्तों के अन्य आपराधिक साथियों एवं चोरी के माल की खरीद-फरोख्त में शामिल व्यक्तियों के संबंध में भी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की जा रही हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. रामचंद्र गुप्ता पुत्र श्यामलाल गुप्ता नि0 परसोनीपुरवा मौजा पूरे महोलिया थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा। (पुलिस मुठभेड़ में घायल)

02. चांदबाबू पुत्र मो0 सईद नि0 काशीराम पुरवा भैसहा थान कौड़िया जनपद गोण्डा।

03. नईम पुत्र स्व0 मो0 सलीम नि0 ग्राम चौरी थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0-219/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

02. मु0अ0सं0-258/2026, धारा 305(ए), 331(4) बीएनएस थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

03. मु0अ0सं0 292/2026 धारा 305 बीएनएस थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

04. मु0अ0सं0-325/2026 धारा 305(ए), 331(4) बीएनएस थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

05. मु0अ0सं0 341/2026 धारा 305(ए), 331(4) बीएनएस थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

06. मु0अ0सं0-345/2026 धारा 305(ए), 331(4) बीएनएस थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 348/26 धारा 109(1) बीएनएस 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कर्नलगंज नपद गोण्डा ।

बरामदगी-

01. लगभग 01 किलो 100 ग्राम चांदी

02. 11 ग्राम सोना।

03. 93,000/- रुपए नगद।

04. 01 सुपर स्पलेंडर मोटरसाइकिल।

05. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस।

06. 01 अदद मोबाइल फोन।

आपराधिक इतिहास मोहम्मद नईम पुत्र मोहम्मद सलीम-

1. मु0अ0सं0 006/2024 धारा 323/498ए/504/506 आईपीसी व 3/4 डीपी एक्ट महिला थाना जनपद गोण्डा
2. मु0अ0सं0 290/2021 धारा 380/411आईपीसी थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

03. मु0अ0सं0 006/2014 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट – को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

04. मु0अ0सं0 323/2014 धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधि० को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

05. मु0अ0सं0 607/2013 धारा 380/411/457 आईपीसी को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

06. मु0अ0सं0 107/2013 धारा 379/511 आईपीसी थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

आपराधिक इतिहास रामचंद्र गुप्ता पुत्र श्यामलाल-

1. मु0अ0सं0 धारा 379/411 आईपीसी थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।
2. मु0अ0सं0 122/2017 धारा 380/457 आईपीसी थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।
3. मु0अ0सं0 143/2017 धारा 380/411/413/ 457 आईपीसी थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।
4. मु0अ0सं0 185/2017 धारा 380/511 आईपीसी थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।
5. मु0अ0सं0 240/2017 धारा 380/411/413 भादवि थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।
6. मु0अ0सं0-272/2017 धारा 380/457 भादवि थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।
7. मु0अ0सं0-282/2017 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।
8. मु0अ0सं0-465/2017 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।
9. मु0अ0सं0-314/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।
10. मु0अ0सं0-176/2017 धारा 380/511 आईपीसी थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. श्री नरेन्द्र राय प्रभारी निरीक्षक थाना कर्नलगंज मय टीम।

02. प्रभारी एस0ओ0जी0/सर्विलांस श्री मनीष कुमार मय टीम।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>